25/5/26

पत्रावली पास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. प्रा.पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया गया। तहसील दार सूरतगढ़ को पत्र जारी हो। नंबर से दर्ज हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/129

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.25 13:37:55 IST
Reason: SelfAttested

(न्या)यालय उपखण्ड अधिकारी एवं भूअभिलेख अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीना आई.ए.एस.

प्रकरण सं0 :–188/2023 GCons:- 2023/129 प्रस्तुति दिनांकः–29.08.2023

दलीप राम उर्फ दीपाराम पुत्र श्री सन्ताराम जाति जाट निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार ....अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र नाम दुरूस्ती हेतु ।

अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :–

1. श्री राकेश सारस्वत, अभिभाषक (प्रार्थी)
2. श्रीमान तहसीलदार (अप्रार्थी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

निर्णय **दिनांकः–25.05.2026**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 79.200 आरडीएल खाता नं0 38 प0न0 124/29 (42) में 3.289 है0, प0न0 124/30 (63) में 0.506 है0 कुल 3.795 है0 खातेदारी भूमि में 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम दीपाराम पुत्र सन्तराम अंकित है। जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 शामिल पत्रावली हैं। इसके अलावा प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 79.200 आरडीएल खाता नं0 48 प0न0 104/31 (86) में 4.402 है0, प0न0 104/38 (56) में 2.024 है0, प0न0 104/39 (85) में 6.325 है0, प0न0 104/46 (57) में 3.542 है0, प0न0 104/47 (84) में 6.325 है0, प0न0 104/55 (83) में 2.024 है0 कुल 24.642 है0 खातेदारी भूमि में 4301/245068 खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम दीपाराम पुत्र सन्ताराम अंकित है। जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 शामिल पत्रावली हैं।

यह कि प्रार्थी के उपरोक्त खातेदारी भूमि रिकार्ड में प्रार्थी का नाम **दलीपराम** के स्थान पर **दीपाराम** दर्ज कर दिया गया हैं। जबकि आधार कार्ड सं0 3182 5437 5360, जन आधार सं0 4842156087, पैन कार्ड सं0 DUUPR4708H में प्रार्थी का नाम दलीपराम दर्ज हैं। राजस्व रिकार्ड में नाम **दीपाराम** व पहचान के दस्तावेजो में नाम **दलीपराम** दर्ज होने के कारण प्रार्थी सरकारी योजनाओ का लाभ नही ले पा रहा है एवं ना ही उक्त भूमि को बैंक के रहन रखकर केसीसी उठाकर कृषि कार्य में उक्त ऋण राशि का प्रयोग नही कर पा रहा हैं ओर साथ ही फसल नष्ट होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री कृषक पैन्शन योजना के लाभ से भी प्रार्थी वंचित हो रह है। प्रार्थी द्वारा अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु कई बार तहसील परिसर के चक्कर लगा चुका है। परन्तु हर बार प्रार्थी को राजस्व कर्मचारियो द्वारा सक्षम अदालत में जाने का कहकर प्रार्थी का नाम दुरूस्त नही किया जा रहा है। प्रार्थी का सही एवं सत्य नाम **दलीपराम** है। **दलीपराम** व **दीपाराम** दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। बतौर साक्ष्य प्रमाण पत्र प्रभारी चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय [illegible] ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मोकलसर, प्रधानाचार्य रा0उ0मा0 विधालय मोकलसर शामिल पत्रावली एवं प्रार्थी के नाम से उपरोक्त मद सं0 2 व 3 में दर्ज खातेदारी भूमि के अलावा तहसील सूरतगढ [illegible] ग्राम मोकलसर खाता नं0 273 ख0न0 630/81 में 14.750 है0 खातेदारी भूमि में 1/6 हिस्सा है। जिसमें प्रार्थी का नाम दलीपराम दर्ज है। जिससे साबित हैं कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ में दर्ज चक 79.200 आरडीएल के दोनो खातो के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहब से दीपाराम दर्ज है। जिसे प्रार्थी प्रार्थना पत्र के माध्यम से दुरूस्त करवाना चाहता है।

........लगातार 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.25 13:37:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड जंमाबदी तहसील सूरतगढ के तहसील सूरतगढ के चक 79.200 आरडीएल खाता नं0 38 प0न0 124/29 (42) में 3.289 है0, प0न0 124/30 (63) में 0.506 है0 कुल 3.795 है0 खातेदारी भूमि में व चक 79.200 आरडीएल खाता नं0 48 प0न0 104/31 (86) में 4.402 है0, प0न0 104/38 (56) में 2.024 है0, प0न0 104/39 (85) में 6.325 है0, प0न0 104/46 (57) में 3.542 है0, प0न0 104/47 (84) में 6.325 है0, प0न0 104/55 (83) में 2.024 है0 कुल 24.642 है0 खातेदारी भूमि में अर्थात दोनो खातो की भूमि में दर्ज प्रार्थी के हिस्सा में प्रार्थी का नाम दीपाराम पुत्र सन्ताराम के स्थान पर दलीपराम उर्फ दीपाराम पुत्र सन्ताराम दर्ज करने का आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज होने पर अप्रार्थी को नोटिस भेजे गये, अप्रार्थी द्वारा दिनांक 10.06.2025 को अपना जबाब पेश किया। जो शामिल पत्रावली हैं। अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 79.200 आरडीएल खाता नं0 38 प0न0 124/29 (42) में 3.289 है0, प0न0 124/30 (63) में 0.506 है0 कुल 3.795 है0 खातेदारी भूमि में व चक 79.200 आरडीएल खाता नं0 48 प0न0 104/31 (86) में 4.402 है0, प0न0 104/38 (56) में 2.024 है0, प0न0 104/39 (85) में 6.325 है0, प0न0 104/46 (57) में 3.542 है0, प0न0 104/47 (84) में 6.325 है0, प0न0 104/55 (83) में 2.024 है0 कुल 24.642 है0 खातेदारी भूमि में प्रार्थी का दीपारामा पपुत्र श्री सन्ताराम दर्ज है एवं पहचान के दस्तावेजो मे दलीपराम दर्ज हैं। राजस्व रिकार्ड में नाम **दीपाराम** व पहचान के दस्तावेजो में नाम **दलीपराम** दर्ज होने के कारण प्रार्थी सरकारी योजनाओ का लाभ नही ले पा रहा है एवं ना ही उक्त भूमि को बैंक के रहन रखकर केसीसी उठाकर कृषि कार्य में उक्त ऋण राशि का प्रयोग नही कर पा रहा हैं ओर साथ ही फसल नष्ट होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री कृषक पैन्शन योजना के लाभ से भी प्रार्थी वंचित हो रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

बहस सुनी गई। पत्रावली में शामिल पत्रावली दस्तावेजो प्रमाण पत्र प्रभारी चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय मोकलसर, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मोकलसर, प्रधानाचार्य रा0उ0मा0 विधालय मोकलसर का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा भी अपने जबाब में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई विरोध नही किया हैं। इसलिये प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को पूर्णतया साबित किया हैं। इसलिये हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में एवं कोई विपरीत साक्ष्य पेश नही होने के सूरत में स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता हैं चक 79.200 आरडीएल खाता नं0 38 प0न0 124/29 (42) में 3.289 है0, प0न0 124/30 (63) में 0.506 है0 कुल 3.795 है0 खातेदारी भूमि में व चक 79.200 आरडीएल खाता नं0 48 प0न0 104/31 (86) में 4.402 है0, प0न0 104/38 (56) में 2.024 है0, प0न0 104/39 (85) में 6.325 है0, प0न0 104/46 (57) में 3.542 है0, प0न0 104/47 (84) में 6.325 है0, प0न0 104/55 (83) में 2.024 है0 कुल 24.642 है0 खातेदारी भूमि में अर्थात दोनो खातो की भूमि में दर्ज प्रार्थी के हिस्सा में प्रार्थी का नाम दीपाराम पुत्र सन्ताराम के स्थान पर दलीपराम उर्फ दीपाराम पुत्र सन्ताराम दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ को दिये जाते हैं। आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावें।

आदेश सरे इजलास सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.25 13:37:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ